हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब द्वारा दिनांक 05.07.2023 को मैसर्स जे. जे. एसोसिएट, (पार्टनर श्री जहांगीर अली, जयबीर सिंह, राजेश गुप्ता, और रोहित चौधरी, निवासी ग्राम मोजा /मोहाल मोहकामपुर नवादा, तहसील पावंटा साहिब जिला सिरमौर (हि. प्र.)) की खसरा नंबर 640/563/480/1 क्षेत्रफल 3.9786 हेक्टेयर या 47-04 बीघा मौजा मोहाल मोहकामपुर नवादा, तहसील पॉवटा साहिब , जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश निजी भूमि पर रेत, पत्थर व बजरी (क्षमता 62,842 टन प्रति वर्ष) हेतु खनन प्रस्ताव पर जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण :

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब द्वारा दिनांक 05.07.2023 को **मैसर्स जे. जे. एसोसिएट** की खनन प्रस्ताव पर जन सुनवाई खुला मैदान गांव नवादा, बी. आर. फ़ूड इंडस्ट्रीज के समीप, तहसील पॉवटा साहिब जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में संपन्न की गई। प्रस्तावित खनन पट्टा मौजा मोहाल **मोहकामपुर नवादा**, खसरा नंबर 640/563/480/1 और कुल खनन क्षेत्र **3.9786 हेक्टेयर (47-04 बीघा)** तहसील पॉवटा साहिब, जिला सिरमौर , (हि. प्र.) भूमि पर **रेत, पत्थर व बजरी खनन (क्षमता 62,842 टन प्रति वर्ष)** हेतु, **ई. आई. ए. अधिसूचना क्रमांक 1533 दिनांक** 14.09.2006 के अतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जन सुनवाई का आयोजन **उपायुक्त सिरमौर** कि अध्यक्षता में किया गया। इस जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूचि **अनुलग्नक-1** में उपलब्ध है। सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सिरमौर के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनसुनवाई कि पृष्ठभूमि तथा इसके आयोजन के उद्देश्य से उपस्थित जनसमूह को अवगत करवाया गया। तत्पश्चात परियोजना प्रस्तावको एवं उनके प्रतिनिधि तकनीकी परामर्शदाता के द्वारा परियोजना के प्रारूप और विस्तृत पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में लोगों को अवगत करवाया गया। अन्त मे कंपनी के प्रतिनिधि ने परियोजना को कार्यान्वित करने में स्थानीय जनता का सहयोग माँगा तथा उपस्थित जनसमूह के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके बाद अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जनसुनवाई आरम्भ की गई।

क्रम संख्या	**नाम व पता**	**उठाये गए मुद्दे**	**मुद्दों पर टिपण्णी**
1	श्री पवन शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सिरमौर।	इन्होने कहा कि- (i) परियोजना प्रस्तावक बताये किस प्रकार (भू जल /सतही जल) और कहा कहा से जल के नमूने परिक्षण के लिए लिए गए? मॉनिटरिंग के लिए मशीन कहाँ कहाँ लगी थी और किन स्थानीय लोगो को इसकी जानकारी थी, कृपया विस्तृत रिपोर्ट कार्यालय मे जमा कराए। (ii) प्रस्तावित पौधारोपण की जगह के बारे में बताएं कि क्या इसके लिए कोई निश्चित	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि - (i) वायु, भू जल व सतही जल आदि नमूने लीज एरिया के साथ लगते क्षेत्र से कुल 8 जगह से लिए गए हैं एवं इनका विवरण DPR में दिया गया है। रिपोर्ट को कार्यालय मे प्राप्त कर लिया गया है जो अनुलग्नक-2 मे संलग्न है। (ii) पौधारोपण पंचायत क्षेत्र में प्रतिवर्ष 5

		स्थान चयनित है, और क्या यह एक बार मे होगी या प्रति वर्ष। प्रतिवर्ष पौधरोपण करने के पश्चात् आपको स्थानीय पंचायत से इस सम्बन्ध मे प्रमाण पत्र लेना होगा कि पूरे वर्ष मे कितने पौधे लगाए गए और कितने सफल रहे तथा इसकी प्रति क्षेत्रीय कार्यालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सिरमौर व खनन विभाग सिरमौर को देनी होगी। (iii) प्रस्तावित खनन पट्टा क्षेत्र मे कर्मचारी व मजदूरो के लिए शौचालय आदि का क्या प्रावधान रहेगा।	वर्षो तक किया जायेगा जिसका प्रमाण पत्र सम्बंधित पंचायत से ले कर विभाग को जमा कराया जायेगा। (iii) खनन पट्टा क्षेत्र मे कर्मचारी व मजदूरो के लिए मॉडुलर शौचालय का प्रावधान किया जाएगा।
2	श्री सुमित खिम्टा (भा. प्र. से.) माननीय अध्यक्ष व उपायुक्त सिरमौर।	इन्होने कहा कि- सामाजिक कॉर्पोरेट उतरदायित्व के तहत स्थानीय क्षेत्र में क्या कार्य क्रिये जाएगे, साथ हि इन्होने प्रस्तावित 4 सोलर लाइटों को बढ़ा कर 10 करने का आदेश दिया ओर कहा कि लाइटे कमसे कम 12 वाट की हो जो हिमऊर्जा के माध्यम से खरीदी जा सकती है।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि - सामाजिक कॉर्पोरेट उतरदायित्व के तहत सम्बंधित पंचायत रामपुरघाट को दो प्लास्टिक अपशिष्ट श्रेडर और एक बेलिंग मशीन उपलब्ध करायेगे। परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से सी.एस.आर. के तहत 4 सोलर लाइटों का प्रावधान शामिल हे, साथ हि माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश अनुसार परियोजना प्रस्तावक ने सोलर लाइटों की संख्या 4 से बढ़ा कर 10 करने का आश्वासन दिया।
2	श्रीमती मैराज खातून प्रधान ग्राम पंचायत नवादा, तहसील पॉवटा साहिब जिला सिरमौर।	इन्होने कहा कि – (i) चार सोलर लाइटे रामपुरघाट पंचायत के लिए प्रस्तावित थी, जिसे आपके आदेश अनुसार अब 10 कर दिया जायेगा। कृपया	**माननीय अध्यक्ष महोदय व उपायुक्त सिरमौर** ने कहा कि - (i) बढ़ी हुई लाइटों को सभी प्रभावित पंचायतो मे बराबर बाँट कर लगाया जाए।

		यह स्पष्ट करे कि बढ़ी हुई लाइटों को भी केवल रामपुरघाट पंचायत मे ही लगाया जायेगा या अन्य पंचायत मे भी इन्हे लगाया जायेगा। (ii) नवादा पंचायत मे पिछली बरसातो मे लगभग 200 मीटर भूमि कटाव हुआ है जिस कारण ग्रामवासियो व जमीनो को खतरा पैदा हो गया है। इस सम्बन्ध मे साथ लगती नदी को तटबंध करने हेतू फाइल खनन विभाग को भी सौंपी गई है परन्तु इस कार्य पर कोई प्रगति नही हुई है। अतः हम चाहते है कि जब तक कोई स्थाई समाधान नही हो जाता काम से कम प्रशासन द्वारा 200 मीटर की भुमि मे ही तटबंध किया जाए ताकि इस बरसात मे ग्रामवासियो का कोई नुकसान ना हो।	(ii) जिला मिनरल फाउंडेशन की मीटिंग मे उठाए गए दो प्रस्ताव मे से फण्ड की कमी के कारण एक प्रस्ताव पर कार्य हो पाया है। पूरी नदी का तटबंदीकरण एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी विस्तृत रिपोर्ट जल शक्ति विभाग तैयार करेगा और सरकार की अनुमति के लिए भेजा जायेगा। तब तक जल शक्ति विभाग प्रभावित क्षेत्र को देख कर यह सुनिश्चित करे की यहाँ हो रहा भूमि कटाव कितना गंभीर है और अभी इसमे क्या किया जा सकता है।
3	श्री तरसेम सिंह सागा, ग्राम बरोटीवाला, पोस्ट ऑफिस शिवपुर, तहसील पॉवटा साहिब जिला सिरमौर।	इन्होने कहा कि – क्रशर व खनन परियोजनाओं से स्थानीय लोगो को रोजगार मिलता है व क्षेत्र का भी विकास होता है। हम इस परियोजना का समर्थन करने है परन्तु इन परियोजनाओं से होने वाले नुकसान जैसे की सड़क का टूटना आदि कि समय समय पर रिपेयरिंग होनी चाहिए और स्थानीय लोगो को कोई परेशानी नही होनी चाहिए।	परियोजना प्रस्तावक ने इस सम्बन्ध मे सहयोग करने का आश्वासन दिया।
4	श्री साबिर अली, ग्राम नवादा, तहसील पॉवटा साहिब जिला सिरमौर।	इन्होने कहा कि – (i) यहाँ लगभग सभी खनन पट्टे निजी भूमि पर हे फिर भी वनविभाग स्थानीय लोगो व ट्रेक्टर चालको का वन भूमि ना	**श्री कुलभूषण शर्मा जिला खनन अधिकारी-** (i) इन्होने कहा कि आप अपनी शिकायत का विवरण लिखित मे हमे दे और हम

		होते हुए भी चालान कर देते है। मेरा आग्रह है कि यदि जुर्माना करना ही है तो माइनिंग एक्ट मे किया जाए ना की फॉरेस्ट एक्ट मे क्योकि यहाँ फारेस्ट की कोई जमीन नही है। (ii) साथ ही इन्होने कहा की प्रभावित क्षेत्र नवादा पंचायत होते हुए भी विकास कार्यो का पैसा अन्य पंचायतो पर खर्च होता है।	फारेस्ट विभाग से इस विषय पर सूचना प्राप्त करेगे। (ii) साथ ही इन्होने कहा कि क्षेत्र आपस मे जुड़े होते है और विकास कार्य तभी व्यावहारिक होता है जब सामान रूप से साथ लगते क्षेत्र मे भी हो।
5	श्री तरसेम सिंह सागा, ग्राम बरोटीवाला, पोस्ट ऑफिस शिवपुर, तहसील पॉवटा साहिब जिला सिरमौर।	इन्होने कहा कि – परियोजना प्रस्तावक द्वारा हर साल पौधारोपण किया जायेगा। मेरा सुझाव है कि फलदार पौधे लगाए जाए जिस से लोगो को ज्यादा फायदा होगा।	**श्री पवन शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सिरमौर।** इनके द्वारा परियोजना प्रबंधन को फलदार पौधे लगाने सम्बन्धी दिशा निर्देश दिए गए।
6	श्रीमती मैराज खातून प्रधान ग्राम पंचायत नवादा, तहसील पॉवटा साहिब जिला सिरमौर।	इन्होने कहा कि – माल ढुलाई वाले ट्रेक्टर गांव की सड़को पर चलते है जिससे सड़को पर गड्ढे पड़ जाते है। मेरा सभी क्रशर मालिकों से अनुरोध है कि कृपया समय -समय पर इन गड्ढों को भरे।	परियोजना प्रस्तावक ने आश्वासन दिया कि सभी क्रशर मालिको द्वारा समान रूप से सहयोग किया जाएगा। ।
7	श्री मोहित सैनी, उपप्रधान ग्राम पंचायत नवादा, पॉवटा साहिब, जिला सिरमौर।	इन्होने कहा कि – जिला मिनरल फण्ड का पैसा हमारी 4 -5 पंचायत को मिलना चाहिए जो अधिक प्रभावित है।	**माननीय अध्यक्ष महोदय व उपायुक्त सिरमौर** ने कहा कि - प्रभावित पंचायते अपना-अपना प्रस्ताव आगामी जिला स्तरीय बैठक मे हमे दे, ओर प्रभावित पंचायतो को फण्ड दिया जायेगा।
8	श्री मुकेश कुमार, ग्राम पंचायत शिवपुर।	इन्होने कहा कि – हमारे ट्रेक्टर माल ढुलान के लिए क्रशर मालिको द्वारा किराय पर लिए गए है। क्रशर मालिक माल ढुलान भाड़ा समय पर	**माननीय अध्यक्ष महोदय व उपायुक्त सिरमौर** - ने जिला खनन अधिकारी को निर्देश दिए कि वह इस मामले को देखे और यदि आवश्यक हो तो सम्बंधित विभाग

		अदा नही करते हे जिससे हमारे बैंक से लिए गए लोन डिफ़ॉल्ट होने का खतरा पैदा हो जाता है। अतः आपसे अनुरोध हे कि क्रशर मालिको को इस सम्बन्ध मे निर्देश दे।	लेबर ऑफिस के माध्यम से समस्या का समाधान करे।

तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी लोगो से निसंकोच परियोजना के सन्दर्भ मे अपने विचार / सुझाव / आप्पतियाँ प्रकट करने का आह्वान किया गया। जनसुनवाई के समापन से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनता को आश्वासन दिया गया कि उठाए गए सभी मुद्दों, सुझावो, विचारो और टिप्पणियों को नोट किया गया हैं एवं इस जनसुनवाई की कार्यवाही को कलमबध कर आगामी कार्यवाही के लिए भेज दिया जाएगा। अंत मे जनसुनवाई के समापन पर उपायुक्त सिरमौर द्वारा सभी का धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया गया।

उपायुक्त सिरमौर
नाहन,जिला सिरमौर (हि. प्र.)